केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/20/00053
CICOM/R/P/20/00179

अपीलकर्ता : श्री जीवनराम मीना
गली नलं. 1 सरस्वती मीना
रोटदा रोड कोटा जंक्शन
पिन - 324002.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.03.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.03.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.05.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	08.07.2020
निर्णय की तारीख	13.07.2020

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील सं. CIC/WECRL/A/2018/125154 के अनुपालन से संबंधित दिनांक 05.02.2020 एवं 22.02.2020 को प्रेषित पर की गई कार्यवाही से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

1. प्रार्थी द्वारा माननीय आयोग को संदर्भित अपील के संबंध में धारा 20 (1) के तहत भेजे गए प्रार्थना पत्र पर आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की उसकी जानकारी देने की कृपा करें ।
2. माननीय आयोग द्वारा रेलवे के लोक सूचना अधिकारी को धारा 20 (1) के तहत भेजे गए नोटिस की प्रति उपलब्ध करावें ।
3. रेलवे के लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 20 (1) के नोटिस के जवाब की प्रति उपलब्ध करावें ।
4. सूचना उपलब्ध नहीं करवाने वाले लोक सूचना अधिकारी प0 म0 रे0 पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सूचना उपलब्ध करावें ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 26.03.2020 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं बिंदुवार रूप में प्रदान की गई हैं:-

Point No. 1. On going through the file No. CIC/WECRL/A/2018/125154, it is seen that no specific action has been taken on your letters dated 05.02.2020 and 22,02.2020.
Point No. 2. As indicated above, no specific action has been taken.
Point No. 3. No information is available.
Point No. 4. No information is available. However, the matter will be taken up with the CPIO, on opening of office, which is presently closed due to lock down.

C. I. C.
RECEIVED
14 JUL 2020
D. No.........
Initials.........

—2/-

प्रथम अपील का आधार

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि - "प्रार्थी ने दिनांक 03.03.2020 को श्रीमान लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सूचना मांगी थी किन्तु आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई गई । अत: मांगी गई सूचना नि:शुल्क उपलब्ध करवाने की कृपा करें"

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 03.03.2020 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना दिनांक 26.03.2020 को श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की जा चुकी है । श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं आर.टी.आई. आवेदन में मांगी गई सूचना के अनुसार ही है । अत: इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रेषित की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है ।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 13 जुलाई, 2020

मीना शर्मा 13/7/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

संलग्नक - श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रेषित की गई सूचना की प्रति ।

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं DR to IC (NG), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

14/7/20 Khemchand